राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांकः 16.09.2022

ऑनलाईन विस्तृत आवेदन एवं सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में

आर.ए.एस / आर.टी.एस. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2021 के दिनांक 30.08.2022 को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :–

1. **ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम :–** उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आयोग की वेबसाईट पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का सेवावार पदक्रम जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी SSO पोर्टल **https://sso.rajasthan.gov.in** पर लॉगिन कर तथा रिक्रूटमेंट पोर्टल में "My Recruitment" Section के अन्तर्गत Detailed Form cum Scrutiny लिंक को क्लिक कर विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरें। **आयोग द्वारा ऑफलाईन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

   विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरने के लिए उक्त लिंक केवल दिनांक 19.09.2022 (समय 00.00 ए.एम.) से 03.10.2022 (रात्रि 12 बजे) तक उपलब्ध रहेगा, इसके पश्चात् कोई अवसर देय नहीं होगा।

   (A) सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जाने के संबंध में विशेष दिशा–निर्देश

   i) अभ्यर्थियों से उक्त परीक्षा में नॉन–टी.एस.पी. / टी.एस.पी. / एन.जी.ई. पदों हेतु एक ही सेवा प्राथमिकता क्रम प्रपत्र भरवाया जा रहा है। इस प्रकार सेवा प्राथमिकता क्रम का एक ही प्रपत्र भरवाये जाने से टी.एस.पी. अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरवाये गये वरीयता क्रम (1 और 2) को विलोपित समझा जावे।

   ii) सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में उक्त परीक्षा के शुद्धि पत्र दिनांक 28.09.2021 में जिन सेवाओं में विज्ञापित पदों की संख्या '0' दर्शायी गई है, उन्हें विलोपित किया गया है तथा अधीनस्थ सेवाओं में टी.एस.पी. क्षेत्र की सेवाओं को भी क्रम संख्या आवंटित की गई है। इस प्रकार सेवावार संशोधित पदक्रम आयोग की वेबसाईट पर जारी किया गया है। अतः उक्तानुसार जारी सेवा प्रपत्र को ध्यान में रखते हुए ही सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।

   iii) TSP - टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा TSP एवं NON-TSP दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए प्राथमिकता क्रम नहीं भरने की स्थिति में उनका दोनों प्रकार की सेवाओं के पदों के लिए विचारण सम्भव नहीं होगा।

   iv) NGE - सेवा प्राथमिकता क्रम प्रपत्र में राज्य सेवा के जिन पदों में एन.जी.ई. (NGE) के पद शामिल है, उन्हें स्टार मार्क (*) से दर्शाया गया है। एन.जी.ई. (NGE) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के एन.जी.ई. पदों {स्टार मार्क (*)} वाली सेवाओं के सेवा प्राथमिकता क्रम अभ्यर्थी द्वारा भरे गये मूल सेवा प्राथमिकता क्रम के आधार पर स्वतः ही एन.जी.ई. के सेवा प्राथमिकता क्रम माने जावेंगे।

   v) अभ्यर्थी द्वारा सेवा प्राथमिकता प्रपत्र में जिन सेवाओं को प्राथमिकता क्रम दिया जावेगा, उन्हें केवल उन्हीं सेवाओं हेतु विचारित किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा जिन सेवाओं को प्राथमिकता क्रम में नहीं भरा जावेगा, उन सेवाओं हेतु अभ्यर्थी का स्वयं का परित्याग मानते हुए विचारित नहीं किया जावेगा।

vi) अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के दौरान 'SAVE & NEXT' Button के माध्यम से भरी गई सूचना को SAVE कर सकता है। यदि अभ्यर्थी भरी गई सूचना में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह "Final Submit" Button पर Click करने से पूर्व भरी गई सूचना को "EDIT/UPDATE" Button पर Click करके EDIT/UPDATE सकता है। अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता प्रपत्र Final Submit किये जाने के उपरांत कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा तथा इस हेतु अन्य कोई अवसर भी देय नहीं होगा। अतः सेवा प्राथमिकता क्रम को Final Submit करने से पूर्व भरी गई सेवा प्राथमिकताओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेंवे।

2. केवल उत्कृष्ट खिलाडी (SP), भूतपूर्व सैनिक (EX) और विभागीय कर्मचारी (DC) श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरे जाने के उपरांत दिनांक 06.10.2022 से 13.10.2022 तक अपने विस्तृत आवेदन पत्र मय सेवा प्राथमिकता क्रम (02 प्रतियों में) एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति के आयोग कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिशः आवश्यक रूप से जमा करावें। **शेष सभी अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र मय सेवा प्राथमिकता क्रम (02 प्रतियों में) एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति के साक्षात्कार के समय साथ लावें।**

3. विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरने के उपरांत ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जावेगा।

(हरजी लाल अटल)
सचिव